

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस

सं0-10 231 / 2025

1. नारायणन्द पुत्र रामेश्वर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र नरहराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुमित्रा पुत्री रामेश्वर पत्नी अजय जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुरश्वती पुत्री रामेश्वर पत्नी दयाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नेठराना जिला हनुमानगढ़।
4. पवन कुमार पुत्र साहराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 2 केबीएम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. पूनम पत्नी रोहताश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गौरीवाला तहसील रानिया जिला सिरसा।
6. बसवती पत्नी ताराचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष दकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी सभ्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक न0 5 एजी के खाता सं0 78 / 71 में कुल 8.515 है0 में से प्रतिवादी स0 1 के नाम 1/3 हिस्सा आवाजी के वादी व प्रतिवादीया सं0 6 को ब0हि0ब0 के खातेदार कारतकार घोषित किये जाता है व चक न0 5 एजी के खाता सं0 78/71 में से रामेश्वर का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजरख टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजरख रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पत्रा डिक्री आज दिनांक 26/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सत्यनारायण आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

